

**प्रारूप - 2**  
**नियम 7(1) देखें**

प्रार्थी का रंगीन  
तिथि सहित  
पासपोर्ट आकार  
का फोटो  
चिपकायें

सेवा में,

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी  
वार्ड संख्या.....  
दिल्ली/नई दिल्ली

श्रीमान जी,

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... उम्र..... निवासी

(i) मकान नं° .....

(ii) गली/मुहल्ला/ब्लॉक/सड़क .....

(iii) क्षेत्र/ग्राम .....

(iv) पुलिस थाना .....

(v) विधानसभा क्षेत्र का नाम .....

(vi) नगर निगम/छावनी बोर्ड की संख्या .....

दिल्ली/नई दिल्ली, प्रार्थना करता/करती हूँ कि मेरा नाम वार्ड संख्या..... की निर्वाचक नामावली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हेतु सम्मिलित कर लिया जाये।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ:—

(1) मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 8 के अन्तर्गत 18 वर्ष की योग्यता आयु से कम नहीं हूँ तथा 1 जनवरी, ..... को वर्ष..... महीने..... का हूँ।

(2) मैं वार्ड संख्या..... में निम्नलिखित पते पर सामान्य तौर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत पिछले 180 दिनों की योग्यता अवधि से अधिक से निवास कर रहा हूँ:—

(i) मकान नं° .....

(ii) गली/मुहल्ला/ब्लॉक/सड़क .....

(iii) क्षेत्र/ग्राम .....

(iv) पुलिस थाना .....

(v) विधानसभा क्षेत्र का नाम .....

(vi) नगर निगम/छावनी बोर्ड की संख्या .....

**आवेदन की रसीद**

\*\*श्री/श्रीमती/कुमारी..... \*\*जो.....

का/की निवासी है से प्रारूप-2 में आवेदन प्राप्त हुआ।

दिनांक.....

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की ओर से प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
पता.....

\*\*आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

- (3) मैंने घोषणा सहित अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी अन्य पते पर संघराज्य क्षेत्र दिल्ली के इस वार्ड या अन्य वार्ड में मतदाता बनने हेतु आवेदन नहीं किया है।

या

मैंने निम्नलिखित पते पर वोटर बनने हेतु घोषणा की है:—

- (i) मकान नं० .....
  - (ii) गली/मुहल्ला/ब्लॉक/सड़क .....
  - (iii) क्षेत्र/ग्राम .....
  - (iv) पुलिस थाना .....
  - (v) विधानसभा क्षेत्र का नाम .....
  - (vi) नगर निगम/छावनी बोर्ड की संख्या .....
- (4) मैं अपनी दाढ़ी या सिर के बाल की छटाई या कटिंग नहीं करता/करती हूँ।
- (5) मैं धूम्रपान नहीं करता/करती हूँ।
- (6) मैं मद्यपान नहीं करता/करती हूँ।
- (7) मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 2 (एन) द्वारा परिभाषित शब्दों के अनुरूप सिख हूँ।

दिनांक.....

(प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

नोट: कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है/करती है और जिसको वह झूठी समझता या विश्वास करता/करती है कि झूठी है या सही नहीं है को दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाता का पंजीकरण) नियम, 1973 के नियम 36 सहित पढ़ने के अन्तर्गत उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(नोट: जो लागू नहीं उसे काट दे)